

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अर्न्तगत स्थानीय आपदाओं से फसल में नुकसान होने

पर आवेदन

प्रारूप-1

सेवामें

उप कृषि निदेशक,

जिला-----।

विषय:— प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अर्न्तगत स्थानीय आपदाओं से हुए नुकसान की सूचना देने बारे।

उपरोक्त विषय पर सूचित किया जाता है कि मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अर्न्तगत अपनी फसल का बीमा करवाया हुआ है। स्थानीय आपदा से मेरी फसल में नुकसान हो गया है। विवरण निम्न अनुसार है:—

क्र० सं०	विवरण	
1.	ऐप्लीकेशन आई०डी० (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल के अनुसार):—	
2.	बीमित किसान का नाम	
3.	पिता/पति का नाम	
4.	किसान का स्थाई पता	
5.	किसान का फसल गाँव	
6.	तहसील	
7.	ब्लाक/तालुका	
8.	फसल का नाम	खरीफ:— धान/मक्का/कपास/बाजरा रबी:— गेहूँ/सरसों/चना/जौ/सूरजमुखी
9.	रकबा (हेक्टेयर)	
10.	खराब फसल का मुस्तिल व किला नम्बर	
11.	फसल बुआई की तिथि	
12.	नुकसान की तिथि	
13.	फसल नुकसान के बारे में सूचना देने की तिथि:	
14.	नुकसान का कारण	जल-भराव/ ओलावृष्टि/आसमानी बिजली
15.	बैंक एवं शाखा का नाम जहां से फसली ऋण लिया है।	
16.	सेविंग बैंक अकाउंट नम्बर/किसान क्रेडिट कार्ड नम्बर	
17.	आधार नम्बर	

अतः आप से अनुरोध है कि मेरी फसल में हुए नुकसान का आंकलन करवाने तथा नियमानुसार देय क्लेम दिलवाने का कष्ट करें।

किसान का नाम व हस्ताक्षर
मोबाईल नम्बर:

- नोट:
- केवल बीमा की हुई फसल का ही क्लेम मिलता है।
 - फसल में नुकसान होने के 72 घण्टे के भीतर नुकसान की सूचना उप कृषि निदेशक को देना आवश्यक है।
 - स्थानीय आपदाओं के मामले में केवल ओलावृष्टि, जल-भराव (धान फसल के अतिरिक्त) तथा आसमानी बिजली से नुकसान होने पर ही क्लेम मिलता है।